

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़अरबाज खान

बनाम

सरकारकिस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)नं० 081सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी आरएस चूण्डावत हाजिर। सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 14 GC 0838 को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी अरबाज गडवी पिता फरियाद गडवी निवासी मकान नंबर 189 वार्ड नंबर 4 हडवाल देहरा मुल्तानपुरा मन्दसौर मध्य प्रदेश वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, शम्भुपुरा से कमेन्ट्स मय केस डायरी हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना, शम्भुपुरा द्वारा प्रेषित पत्र को पृष्ठांकित कर अवगत कराया कि प्रकरण में वाहन रिलीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा द्वारा पृष्ठांकित शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलीज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी में उन्होंने जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 14 GC 0838 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 14 GC 0838 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रुपये 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p>	



-S/d-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़
10.08.2022